सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग

मांग संख्या 94

दिव्गयांजन सशक्तीकरण विभाग

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2020-2021			बजट 2021-2022			संशोधित 2021-2022			बजट 2022-2023		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	861.63	...	861.63	1171.76	0.01	1171.77	1044.31	...	1044.31	1212.41	0.01	1212.42
वसूलियां	*-9.11*	...	-9.11	...	...	...	...	...	...	...	...	...
प्राप्तियां	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
निवल	**852.52**	**...**	**852.52**	**1171.76**	**0.01**	**1171.77**	**1044.31**	**...**	**1044.31**	**1212.41**	**0.01**	**1212.42**
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:												
केंद्र का व्यय												
केन्द्र का स्थापना व्यय												
1. सचिवालय	23.46	...	23.46	34.06	...	34.06	34.00	...	34.00	40.50	...	40.50
केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं												
दिव्यांगों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम												
2. दिव्यांगजनों को सहायक यंत्र/सहायक सामग्री की फिटिंग एवं उपकरण की खरीददारी के लिए सहायता	189.13	...	189.13	220.00	...	220.00	180.00	...	180.00	235.00	...	235.00
3. दीनदयाल दिव्यांगजन पुनर्वास योजना	83.18	...	83.18	125.00	...	125.00	105.00	...	105.00	125.00	...	125.00
4. राष्ट्रीय न्यास की सहायता	29.80	...	29.80	30.00	...	30.00	30.00	...	30.00	35.00	...	35.00
5. भारतीय स्पाइनल इंजुरी सैंटर	3.99	...	3.99	...	...	...	...	...	...	...	...	...
6. दिव्यांगजन अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए योजना	103.43	...	103.43	209.77	...	209.77	147.31	...	147.31	240.39	...	240.39
जोड़-दिव्यांगों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम	**409.53**	**...**	**409.53**	**584.77**	**...**	**584.77**	**462.31**	**...**	**462.31**	**635.39**	**...**	**635.39**
7. दिव्यांग छात्रों के लिए छात्रवृत्ति	97.40	...	97.40	125.00	...	125.00	110.00	...	110.00	105.00	...	105.00
जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं	**506.93**	**...**	**506.93**	**709.77**	**...**	**709.77**	**572.31**	**...**	**572.31**	**740.39**	**...**	**740.39**
केंद्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय												
स्वायत्त निकाय												
8. राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, पुनर्वास विज्ञान एवं दिव्यांगता अध्ययन	...	...	...	0.01	...	0.01	...	...	...	0.01	...	0.01
9. भारतीय पुनर्वास परिषद	5.50	...	5.50	5.50	...	5.50	5.50	...	5.50	6.40	...	6.40
10. दिव्यांगता खेल-कूद केन्द्र	18.93	...	18.93	53.41	...	53.41	40.00	...	40.00	60.00	...	60.00
11. राष्ट्रीय विस्तृत और सार्वभौमिक डिजाइन संस्थान	...	...	...	0.01	...	0.01	...	...	...	0.01	...	0.01
12. राष्ट्रीय संस्थानों को सहायता	256.81	...	256.81	319.00	...	319.00	332.50	...	332.50	365.00	...	365.00
जोड़-स्वायत्त निकाय	**281.24**	**...**	**281.24**	**377.93**	**...**	**377.93**	**378.00**	**...**	**378.00**	**431.42**	**...**	**431.42**

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2020-2021			बजट 2021-2022			संशोधित 2021-2022			बजट 2022-2023		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम												
13. राष्ट्रीय दिव्यांग वित्त एवं विकास निगम	...	...	...	...	0.01	0.01	...	...	...	...	0.01	0.01
14. भारतीय कृत्रिम अंग विनिर्माण निगम	50.00	...	50.00	50.00	...	50.00	60.00	...	60.00	0.10	...	0.10
जोड़-सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	**50.00**	**...**	**50.00**	**50.00**	**0.01**	**50.01**	**60.00**	**...**	**60.00**	**0.10**	**0.01**	**0.11**
अन्य												
15. वास्तविक वसूलियां	-9.11	...	-9.11	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़-केंद्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय	**322.13**	**...**	**322.13**	**427.93**	**0.01**	**427.94**	**438.00**	**...**	**438.00**	**431.52**	**0.01**	**431.53**
कुल जोड़	***852.52***	***...***	***852.52***	***1171.76***	***0.01***	***1171.77***	***1044.31***	***...***	***1044.31***	***1212.41***	***0.01***	***1212.42***
ख. विकास शीर्ष												
सामाजिक सेवाएं												
1. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	769.49	...	769.49	988.59	...	988.59	908.55	...	908.55	1007.84	...	1007.84
2. सचिवालय-सामाजिक सेवाएं	20.50	...	20.50	29.00	...	29.00	29.00	...	29.00	35.00	...	35.00
3. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण पर पूंजी परिव्यय	...	...	...	...	0.01	0.01	...	...	...	...	0.01	0.01
जोड़-सामाजिक सेवाएं	**789.99**	**...**	**789.99**	**1017.59**	**0.01**	**1017.60**	**937.55**	**...**	**937.55**	**1042.84**	**0.01**	**1042.85**
अन्य												
4. पूर्वोत्तर क्षेत्र	...	...	...	70.98	...	70.98	54.73	...	54.73	70.54	...	70.54
5. राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	62.53	...	62.53	83.16	...	83.16	52.00	...	52.00	99.00	...	99.00
6. संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	...	...	...	0.03	...	0.03	0.03	...	0.03	0.03	...	0.03
जोड़-अन्य	**62.53**	**...**	**62.53**	**154.17**	**...**	**154.17**	**106.76**	**...**	**106.76**	**169.57**	**...**	**169.57**
कुल जोड़	**852.52**	**...**	**852.52**	**1171.76**	**0.01**	**1171.77**	**1044.31**	**...**	**1044.31**	**1212.41**	**0.01**	**1212.42**

(₹ करोड़)

	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़
ग. सार्वजनिक उद्यम में निवेश												
1. राष्ट्रीय दिव्यांग वित्तपोषण और विकास	...	90.00	90.00	0.01	...	0.01	...	100.00	100.00	...	120.00	120.00
2. भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम	...	54.35	54.35	...	...	...	...	70.00	70.00	...	85.00	85.00
जोड़	**...**	**144.35**	**144.35**	**0.01**	**...**	**0.01**	**...**	**170.00**	**170.00**	**...**	**205.00**	**205.00**

1. **सचिवालय:** दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग एवं मुख्य आयुक्त दिव्यांगता के सचिवालय पर व्यय का प्रावधान है।

2. **दिव्यांगजनों को सहायक यंत्र/सहायक सामग्री की फिटिंग एवं उपकरण की खरीददारी के लिए सहायता:** दिव्यांगजनों के शारीरिक, सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक पुनर्वास को बढाने के लिए जरुरतमंद दिव्यांगजनों को टिकाऊ, परिष्कृत एवं वैज्ञानिक रुप से निर्मित , आधुनिक, मानक यंत्र एवं उपकरणों की खरीद के लिए विभिंन कार्यान्वियन एजेंसियों को अनुदान सहायता उपलब्ध कराने का प्रावधान है।

3. **दीनदयाल दिव्यांगजन पुनर्वास योजना:** योजना के अंतर्गत, शिक्षा, प्रशिक्षण एवं संबद्ध गतिविधियों के माध्यम से दिव्यांगजनों की पुनर्वास परियोजनाओं से संबंधित स्वैाच्छक संगठनों के जरिए यह योजना कार्यान्वित की जाती है।

4. **राष्ट्रीय न्यास की सहायता:** इस स्कीम के अंतर्गत, राष्ट्रीय न्यास को उसकी स्कीमों के लिए निधि जारी की जाती है।

5. **भारतीय स्पाइनल इंजुरी सैंटर:** सरकार द्वारा गरीब रोगियों के उपचार हेतु 25 निःशुल्क बेड उपलब्ध कराने के लिए एस आई सी को सहायता प्रदान की जाती है।

6. **दिव्यांगजन अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए योजना:** इस स्कीम केअंतर्गत दिव्यांगजन अधिनियम, 1995 विशेषत: पुनर्वास और मुक्त पहुंच के प्रावधान के कार्यान्वियन से संबंधित गतिविधियों को सहायता देने के लिए स्वायत्त निकायों तथा विश्वविद्यालयों सहित केंद्र सरकार और राज्य सराकरों द्वारा स्थापित विभिन्न निकायों को वित्तीय सहायता दी जाती है।

7. **दिव्यांग छात्रों के लिए छात्रवृत्ति:** सचिव, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की अध्यशक्षता में स्थायी वित्त समिति ने अनुमोदित किया है कि दिव्यांग छात्रों के लिए सभी 6 छात्रवृत्ति योजनाएं बजट आवंटन की मांग आपूर्ति असंतुलन को समाप्त करने के विषय में दिव्यांग छात्रों के लिए छात्रवृत्तियां शीर्षक के तहत एक योजना में विलय की जाएं। अन्य शब्दों में, यदि इसमें एक घटक में अधिशेष निधि उपलब्ध है, तो वह अधिशेष अन्य घटकों में उपयोग में लाया जा सकता है।

8. **राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, पुनर्वास विज्ञान एवं दिव्यांगता अध्ययन:** राष्ट्रीय पुनर्वास विज्ञान एवं दिव्यांगता अध्ययन विश्वविद्यालय स्थापित करने का प्रावधान है।

9. **भारतीय पुनर्वास परिषद:** यह भारतीय पुनर्वास परिषद को अनुदान सहायता उपलब्ध कराने से संबंधित है, जो दिव्यांगजनों के पुनर्वास के क्षेत्र में देश में व्यावसायिक प्रशिक्षण के समान मानक लागू करने की सर्वोच्च सांविधिक निकाय है।

10. **दिव्यांगता खेल-कूद केन्द्र:** दिव्यांगजनों को खेलों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने का प्रावधान है।

11. **राष्ट्रीय विस्तृत और सार्वभौमिक डिजाइन संस्थान:** राष्ट्रीय संस्थान/सार्वभौमिक डिजाइन एवं बाधामुक्त वातावरण केंद्र की स्थापना हेतु प्रावधान किया गया है।

12. **राष्ट्रीय संस्थानों को सहायता:** दिव्यांग क्षेत्र में प्रशिक्षित मानवशक्ति विकसित करने के लिए व्यवासायिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम उपलब्ध कराना तथा विभिन्न अन्य पुनर्वास सेवाएं उपलब्ध करवा रहे हैं। ये संस्थान पंजीकृत सोसाइटियां है तथा केन्द्र सरकार द्वारा पूरी तरह से वित्तपोषित हैं।

13. **राष्ट्रीय दिव्यांग वित्त एवं विकास निगम:** इस प्रावधान में राष्ट्रीय दिव्यांग वित्त और विकास निगम के लिए शेयर पूजी की व्यवस्था की गई है।

14. **भारतीय कृत्रिम अंग विनिर्माण निगम:** कृत्रिम अंग निर्माण निगम : निगम द्वारा दिव्यांगजनों के लिए कृत्रिम अंग निर्मित किए जाते है।